-: स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

भारत सरकार द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य सहायता प्राप्त परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिये लंबे समय तक आय के स्तर की निरंतरता सुनिष्चित करना है। यह लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक गतिषीलता, प्रषिक्षण, क्षमता निर्धारण तथा आयसर्जक परिसंपत्तियों के सृजन का प्रावधान कर ग्रामीण निर्धनों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर प्राप्त किया जाना है। स्वसहायता समूह दृष्टिकोण, सामुदायिक कार्य के जरिये निर्धनों को आत्मविष्वास निर्माण में सहायक है।

2. योजनांतर्गत स्वरोजगारियों को प्रदान की जाने वाली अनुदान राषि में भारत सरकार द्वारा 75% एवं राज्य सरकार द्वारा 25% व्यय भार वहन किया जाता है। योजना अंतर्गत निम्नांकित प्रयोजन हेतु शासन द्वारा राषि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हैः-

- रिवाल्विंग फंडः- अधिकतम राषि रू. 25000/- जिसमें शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राषि रू. 10,000/- सम्मिलित है।
- प्रषिक्षणः- योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्वरोजगारियों की क्षमता के उन्नयन हेतु अपेक्षित प्रषिक्षण का प्रावधान है। प्राथमिक अभिविन्यास और कौषल विकास प्रषिक्षण पर कुल व्यय राषि रू. 5000/- प्रति प्रषिक्षु से अधिक नही होगा।
- अधोसरंचनाः- योजनांतर्गत स्वरोजगारियांे द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन की सुविधा सुनिष्चित किये जाने हेतु मेलों, प्रर्दषनार्थियों के आयोजन और मेलों तथा प्रर्दषनार्थियेां में स्वरोजगारियों की भागीदारी के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर विपणन की सुविधा सुनिष्चित की जाने की दृष्टि से ग्राम पंचायतों को बाजार हाट के निर्माण हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- कर्ज सह सब्सिडीः- योजना के तहत परियोजना लागत के 30ः की एक समान दर से सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है जो अधिकतम 7500/- रू होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अपंग व्यक्तियों के संबंध में यद्यपि यह क्रमषः 50% और रू. 10,000/- होगी। स्वसहायता समूहों के लिये सहायता परियोजना लागत का 50% होगी जो कि अधिकतम प्रति व्यक्ति रू. 10,000/- या 1.25 लाख (जो भी कम हो) होगी।

3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 56 स्वसहायता समूह का गठन किया जाकर दिनांक 01.04.1999 से जिले में कुल 2036 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया। जिसमें से 1254 स्वसहायता समूह प्रथम ग्रेडिंग एवं 684 स्वसहायता समूह द्वितीय ग्रेडिंग उत्तीण कर चुके है।

कुल गठित स्वसहायता समूह में महिला स्वसहायता समूहों की संख्या 1001 होकर कुल 496 बीपीएल परिवार गरीबी रेखा को पार कर चुके है।

4. योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में वित्तीय वार्षिक लक्ष्य राषि रू. 118.25 लाख के विरूद्ध 120.48 लाख का व्यय किया गया। जो प्रावधानित लक्ष्य का 101.88 प्रतिषत था।

मदवार व्यय की जानकारी निम्नांकित हैः-

क्र	व्यय के मद	व्यय हेतु उपलब्ध राषि (लाख में)	वास्तविक व्यय (लाख में)	व्यय का प्रतिशत
1	रिवाल्विंग फंड	11.82	20.60	174%
2	प्रशिक्षण	11.83	11.72	99%
3	अधोसरंचना	23.65	22.64	96%
4	अनुदान	70.95	65.52	92%
	योग	**118.25**	**120.48**	**101.88**

5. वर्ष 2011-12 के लिये नवीन समूह गठन एवं असक्रिय समूह पुर्नगठन का लक्ष्य 450 होकर वित्तीय लक्ष्य 108.04 लाख निर्धारित है।

जुलाई 2011 अंत तक कुल **56 स्वसहायता समूह का गठन किया जाकर कर्ज सह सब्सिडी के वार्षिक लक्ष्य राशि रू. 247.73 लाख के विरूद्ध कुल 253 आवेदन पत्र राषि रू. 448.40 लाख के विभिन्न बैंको को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है** जिसके विरूद्ध 06 डीजल पंप हेतु विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सोहाया द्वारा राशि रू. 3.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। योजनांतर्गत माह जून 2011 के अंत तक राषि रू. 4.00 लाख का व्यय किया गया है।

***